संख्या :   /जी0एस0/शिक्षा/A3-101/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड   **देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2019**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 834 मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 24.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल** को **एम0ए0 (योग–स्ववित्तपोषित)** पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा उक्त महाविद्यालय को **एम0ए0 (योग–स्ववित्तपोषित)** पाठ्यक्रम में **40 सीटों** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या/संस्तुति के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानकों के पूर्ण होनें की दशा में अस्थाई सम्बद्धता विषयक आदेश निर्गत करेगी तथा आदेश निर्गत करने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की कार्यरत फैकल्टी की अर्हता विषयक अनुमोदन प्रमाण–पत्र यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रस्तर 3.4.7 के अनुसार जारी करेगा व कृत कार्यवाही से मा0 कुलाधिपति को अवगत कराया जायेगा।

3– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3509 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-101/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।